10.09.24 पत्रावली पेश हुयी। अप्रार्थी बावजूद सम्यक तामील व अनेक अवसर अनु० अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली में बहस एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 4/10/2024 को प्रशासन गांवो के संग शिविर मे पेश हो।

प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021

4/10/2024 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी में प्रार्थी के नाम के आगे पिता का नाम घीसा दर्ज रिकार्ड है जो गलत है। प्रार्थी के पिता का सही नाम बंसीया उर्फ बंशी है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार का नाम रुडाराम पुत्र घीसा गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2008 लगायत 2027 जिसमें सही नाम है तथा जमाबन्दी 2019–2022 जिसमें विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करते समय गलत नाम अंकित हुआ है पेश किये। साथ ही आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड की प्रतियां पेश की जिनमे प्रार्थी के पिता का सही नाम बंशी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र व स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:46:20 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी खातेदार का नाम रुडा पुत्र घीसा गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी का कथन कि खातेदार प्रार्थी के पिता का सही नाम रुडमल पुत्र बंशी है की पुष्टि खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2008 लगायत 2027, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र व स्वयं का शपथ पत्र से इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है:—

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
रामपुरा पटवार मंडल बेगा की नांगल	खाता सं0 117	रुडा पुत्र घीसा	रुडमल पुत्र बंशी

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:46:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner